रेनू व अन्य

बनाम

जिला और सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी और अन्य।

(सिविल अपील संख्या 979/2014)

फरवरी 12,2014

[डॉ. बी. एस. चौहान, जे. चेलमेश्वर और एम. वाई. इकबाल, जे. जे.]

भारत का संविधान, 1950:

अनु. 32-राइट ऑफ क्वो वारंट-जनता के लिए नियुक्ति कार्यालय-आयोजितः इससे पहले कि कोई व्यक्ति प्रभावी रूप से रिट ऑफ क्वो वारंट का दावा कर सके, उसे अदालत को संतुष्ट करना होगा कि कार्यालय प्रश्न एक सार्वजनिक पद है और बिना कानूनी अधिकार के एक हड़पने वाले द्वारा आयोजित किया जाता है, और यह अनिवार्य रूप से एक जांच की ओर ले जाएगा कि क्या कथित हड़पने वाले की नियुक्ति हुई है, कानून के अनुसार किया गया है या नहीं-यथास्थिति वारंट जारी करने के लिए, अदालत को संतुष्ट करना होगा कि नियुक्ति वैधानिक नियमों के विपरीत है और इस पद पर आसीन व्यक्ति को इसे धारण करने का कोई अधिकार नहीं है।

अनु. 14 और 16 सार्वजनिक रोजगार-आयोजितः सार्वजनिक रोजगार में पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। आवश्यकता-विज्ञापन में चयन और

भर्ती के लिए उपलब्ध पदों की संख्या निर्दिष्ट होनी चाहिए ऐसे पदों के लिए योग्यता और अन्य पात्रता मानदंड और भर्ती प्रक्रिया की अनुसूची के साथ प्रकाशित की जानी चाहिए निश्चितता और स्पष्टता के साथ-साथ नियम/प्रक्रिया जिसके तहत चयन किए जाने की संभावना है-कोई भी नियुक्ति बिना बुलाए अस्थायी या तदर्थ आधार पर भी आवेदन कला का उल्लंघन है। 14 और 16 और भले ही उम्मीदवारों के नाम रोजगार से मांगे गए हों विनिमय, इसके अलावा, यह अनिवार्य है नियोक्ता खुले बाजार से सभी योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करेगा।

अनु.229 और 235 सपठित अनु.14 और 16-उच्च न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों में कर्मचारियों की नियुक्तिः न्यायिक संस्थानों में नियुक्तियाँ की जानी चाहिए अनु. में निहित अवसर की समानता की कसौटी। अनु.14 सपठित अनु. 16 और किसी भी परिस्थिति में कोई भी नियुक्ति जो अवैध है उसे बचाया नहीं जाना चाहिए रोजगार चाहे वह चतुर्थ श्रेणी का हो, उच्च न्यायालयों या न्यायालयों में तृतीय, द्वितीय या कोई अन्य वर्ग इसके अधीन, "सार्वजनिक" की परिभाषा के अंतर्गत आता है। रोजगार "-इसलिए, इस तरह का रोजगार होना चाहिए सक्षम प्राधिकारी के नियमों और आदेशों के तहत बनाया गया-अनुच्छेद के तहत मुख्य न्यायाधीश को दी गई नियुक्ति की शक्ति। 229 (1) अनु. के अधीन है। 16 (1) जो समानता की गारंटी देता है रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर-एक सुरक्षा के रूप में, संविधान ने यह भी

मान्यता दी है कि उच्च न्यायालय के आंतरिक प्रशासन में कोई अन्य शक्ति नहीं है। सिवाय इसके कि मुख्य न्यायाधीश के पास अधिकार क्षेत्र होना चाहिए-न्यायिक हस्तक्षेप को सक्षम करने के लिए, इसके लिए केवल एक बहुत ही विशेष अधिकार की आवश्यकता होगी। यह दिखाने के लिए मजबूत और विश्वसनीय कारण है कि इस शक्ति के पास है दुर्व्यवहार किया गया।

अनु.229-उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों में पदों पर नियुक्ति-आयोजितः उच्च न्यायालय एक संवैधानिक और स्वायत्त प्राधिकरण है जो किसी के अधीन नहीं है-इसलिए, कोई भी उच्च न्यायालय के संवैधानिक अधिकार को कमजोर नहीं कर सकता है। न्यायालय और, इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय केवल उच्च न्यायालय को सलाह दे सकता है। न्यायालय ने कहा कि यदि इसके नियम संविधान के दर्शन के अनुरूप नहीं हैं, तो उन्हें संशोधित किया जा सकता है और नहीं उसके उल्लंघन में नियुक्ति की जानी चाहिए- यह आवश्यक है कि उचित के साथ सख्त अनुपालन हो नियम और नियोक्ता अनु. के मानदंडों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। अनु.14 और 16 किसी भी भर्ती से पहले-तदर्थ नियुक्ती पद्धति के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए उच्च न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्तियाँ इस संबंध में सुझाए गए और दिए गए निर्देश-उच्च न्यायालय केंद्रीकृत चयन की वांछनीयता की भी जांच कर सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों के लिए उम्मीदवार, और उद्देश्य को पूरा

करने के लिए नियम तैयार करना-संवैधानिक कानून-स्वतंत्रता न्यायपालिका से।

चतुर्थ श्रेणी में नियुक्त कर्मचारियों की निरंतरता के संबंध में विवाद से उत्पन्न तत्काल अपील में दिल्ली उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में 89 दिनों के लिए तदर्थ आधार पर पद और समय के साथ समय-समय पर अवधि बढ़ाई गई, न्यायालय ने अनियमितताओं और अवैधताओं के संबंध में निरंतर शिकायतों का संज्ञान लियाए देश भर में अधीनस्थ न्यायालयों में कर्मचारियों की भर्ती और व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए इन भर्तियों को केंद्रीकृत करने के लिए नोटिस जारी किया गया सभी उच्च न्यायालयों के महापंजीयक मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर जवाब दाखिल करेंगेः (i) भर्ती क्यों नहीं की जाती है? केंद्रीकृत; और (ii) किन प्रासंगिक नियमों से संबंधित हैं सम्पूर्ण कर्मचारी की सेवा शर्तों में संशोधन नहीं किया जाएगा-अदालतों ने अपना जवाब प्रस्तुत किया और वे सभी थे न्यायालय में विधिवत प्रतिनिधित्व किया गया। अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया:

1.1 क्वो वारंट की प्रक्रिया न्यायपालिका को कार्यपालिका को आदेश देने से रोकने के लिए एक हथियार देती है। कानून के खिलाफ सार्वजनिक पद पर नियुक्ति और एक की रक्षा के लिए नागरिक को सार्वजनिक पद से

वंचित होने से जिसके लिए वह उसका अधिकार है। ये कार्यवाहियाँ जनता को सार्वजनिक पद के हड़पने वालों से भी बचाती हैं जो हो सकते हैं की मिलीभगत से जारी रखने की अनुमति दी गई कार्यपालिका या उसकी उदासीनता के कारण। यह देखा जाएगा कि इससे पहले कि कोई व्यक्ति प्रभावी रूप से एक रिट ऑफ क्वो का दावा कर सके अन्यथा, उसे अदालत को संतुष्ट करना होगा कि कार्यालय में प्रश्न एक सार्वजनिक पद है और एक हड़पने वाले द्वारा आयोजित किया जाता है कानूनी अधिकार के बिना और यह अनिवार्य रूप से नेतृत्व करेगा इस बात की जाँच कि कथित हड़पने वाले की नियुक्ति कानून के अनुसार की गई है या नहीं। रिट ऑफ क्वो वारंट जारी करने के लिए, अदालत को यह संतुष्ट करना कि नियुक्ति वैधानिक नियमों के विपरीत है और इस पद पर आसीन व्यक्ति को पद धारण करने का कोई अधिकार नहीं है यह। [पैरा 15] [555-बी-ई]

मैसूर विश्वविद्यालय और अन्य। वी. सी. डी. गोविंदा राव और अन्य 1964 एस. सी. आर. 575 = ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 491; श्री कुमार पद्मा प्रसाद वी. भारत संघ और अन्य। ए. आई. आर 1992 (2) एस. सी. आर. 109 = 1992 एससी 1213; बी. आर. कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य। 2001 (3) पूरक। एस. सी. आर. 191 = ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 3435; मोर मॉडर्न को-ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड v. वित्तीय आयुक्त और सरकार के सचिव। हरियाणा और अन्य 2002 1) पूरक। एस. सी. आर. 87 = ए. आई. आर. 2002 एस.

सी. 2513; अरुण सिंह बनाम राज्य बिहार और वगैरह। 2006 (2) एससीआर 1058 = एआईआर 2006 एससी 1413; हरि बंशलाल बनाम सहोदर प्रसाद महतो और अन्य। 2010 (10) एससीआर 561 = एआईआर 2010 एससी 3515; और केंद्रीय बिजली ओडिशा की आपूर्ति उपयोगिता बनाम धोबेई साहू और अन्य। (2014) 1 एस. सी. सी. 161 पर निर्भर था।

1.2 जनता की एक और महत्वपूर्ण आवश्यकता नियुक्ति में पारदर्शिता की होती है। इसलिए, विज्ञापन में चयन और भर्ती के लिए उपलब्ध पदों की संख्या निर्दिष्ट होनी चाहिए। योग्यताएँ और अन्य ऐसे पदों के लिए पात्रता मानदंड स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने चाहिए और भर्ती प्रक्रिया की अनुसूची होनी चाहिए। निश्चितता और स्पष्टता के साथ प्रकाशित किया जाए। द. विज्ञापन में उन नियमों को भी निर्दिष्ट करना चाहिए जिनके तहत चयन किया जाना है और नियमों के अभाव में, प्रक्रिया जिसके तहत चयन होने की संभावना है लिया गया। यह मनमानी को रोकने के लिए आवश्यक है और चयन के मानदंडों में परिवर्तन से बचने के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की जाती है, जिससे दूसरों की कीमत पर किसी को अन्यायपूर्ण रूप से लाभ होता है। फैसले 16 संविधान से। इस न्यायालय द्वारा बार-बार जिस बात की निंदा की गई है, वह है "पिछले दरवाजे से नियुक्तियाँ या नियमों का पालन करें "। [पैरा 16-17] [555-G-H; 556-A-C]

यू. पी. राज्य और अन्य बनाम यू. पी. राज्य विधि अधिकारी संघ और अन्य। 1994 (1) एस. सी. आर. 348 = ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 1554; सोम राज वगैरह बनाम हरियाणा. राज्य 1990 (1) एस. सी. आर. 535 = ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 1176; पर भ्रोसा किया ।

1.3 अनु. 14 संविधान में अवसर की समानता का प्रावधान है के उल्लंघन में की गई कोई भी नियुक्ति अनु. का अधिदेश। 14 और संविधान का 16 केवल अनियमित ही नहीं बल्की अवैध भी है और इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है। [पैरा 7-8] [550-सी, एफ-जी]

आई. आर. कोएल्हो (मृत) एल. आर्स. बनाम तमिलनाडु राज्य, 2007 (1) एससीआर 706 = एआईआर 2007 एससी 861; दिल्ली विकास बागवानी कर्मचारी संघ बनाम दिल्ली प्रशासन, दिल्ली वगैरह। 1992 (1) एस. सी. आर. 565 = ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 789; हरियाणा वगैरह बनाम प्यारा सिंह वगैरह आदि। 1992 (3) एससीआर 826 = ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 2130; प्रभात कुमार शर्मा और अन्य बनाम यू. पी. राज्य और अन्य, 1996 (3) पूरक। एससीआर 424 = एआईआर 1996 एससी 2638; जे. ए. एस. इंटर कॉलेज, खुर्जा, यू. पी. और अन्य बनाम यू. पी. राज्य और अन्य 1996 (3) पूरक। एससीआर 96 = एआईआर 1996 एससी 3420; एम. पी. आवासन बोर्ड और अन्य बनाम मनोज श्रीवास्तव 2006 (2) एससीआर 537 = एआईआर 2006 एससी 3499;

एम. पी. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड और अन्य बनाम एस. सी. पांडे 2006 (2) एस. सी. आर. 648 = (2006) 2 एस. सी. सी. 716 और मध्य प्रदेश राज्य और अन्य। बनाम कु. संध्या तोमर और अन्य। 2012 (11) एससीआर 839 = जेटी 2013 (9) एससी 139- पर निर्भर था।

1.4 अस्थायी या तदर्थ पर भी कोई नियुक्ति आवेदन आमंत्रित किए बिना अनु. का उल्लंघन है। अनु.14 और 16 भले ही उम्मीदवारों के नाम हैं इसके अलावा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से मांगी गई, अतः नियोक्ता की ओर से खुले बाजार से सभी योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करना अनिवार्य है। क्योंकि केवल रोजगार कारयालय से नाम बुलाना उक्त की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है । सार्वजनिक नियुक्तियों के मामले में अपनाए जाने वाले सिद्धांतों को इस न्यायालय द्वारा तैयार किया गया है नानूराम यादव का मामला। [पैरा 9 और 12] [551-डी-ई; 552-जी]

एम. पी. स्टेट कॉप. बैंक लिमिटेड, भोपाल बनाम नानूराम यादव और अन्य। 2007 (10) एस. सी. आर. 307= (2007) 8 एस. सी. सी. 264; सचिव, 2 एस. सी. आर. कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी और अन्य। 2006 (3) एससीआर 953 AIR 2006 SC 1806; आबकारी अधीक्षक मल्कापटनम, कृष्णा जिला, ए. पी. बनाम के. बी. एन. विश्वेश्वर राव और अन्य। 1996 (5) पूरक। . एससीआर 73 = (1996) 6 एससीसी 216; अरुण तिवारी और अन्य बनाम जिला मनस्वी शिक्षक संघ और

अन्य। 1997 (5) पूरक एस. सी. आर. 604 = ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 331 और किशोर के. पति बनाम जिला विद्यालय निरीक्षक, मिदनापुर और अन्य। (2000) 9 एस. सी. सी. 405; सुरेश कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य। (2003) 10 एस. सी. सी. 276, संघ लोक सेवा आयोग बनाम गिरीश जयंती लाल वाघेला और अन्य। 2006 (1) एस. सी. आर. 1006 = ए आइ आर 2006 एससी 1165; भारत संघ और अन्य। बनाम एन. हरगोपाल और अन्य। 1987 (2) एससीआर 911 = एआईआर 1987 एससी 1227; उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम ममता मोहंती 2011 (2) एस. सी. आर. 704 = (2011) 3 एस. सी. सी. 436- पर निर्भर थी।

1.5 न्यायिक संस्थानों में अवसर की समानता की कसौटी पर बने अनु. के तहत नियुक्तियाँ होनी चाहिए, अनु. 14 के साथ पढ़ें अनु.16, भारत का संविधान का भारत 1950 के तहत ऐसी परिस्थिति जिसमें कोई भी नियुक्ति जो अवैध है, उसे सहेजा जाना चाहिए। [पैरा 4] [549-ए-बी]

1.6 उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की नियुक्तियाँ करने या अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने में, मुख्य न्यायाधीश संवैधानिक समर्थन के साथ एक प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए यह शक्ति मुख्य न्यायाधीश की सुरक्षित अभिरक्षा में सौंपी गई है, जो राज्य सरकार के महत्वपूर्ण अंगों में से एक

है और जिसके अधिकार को बनाए रखा जाना है। मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयोग किए गए विवेक को, सुप्रसिद्ध आधारों को छोड़कर, चुनौती के लिए खुला नहीं किया जा सकता है, अर्थात, जब विवेक का प्रयोग भेदभावपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण, या इस तरह का हो। इस प्रकार, नियुक्ति की शक्ति मुख्य न्यायाधीश को अनु. के तहत दी गई है। 229(1) अनु. के अधीन है। 16(1), जो रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी देता है। 'अवसर' जैसा कि इसमें प्रयोग किया गया है, इस अनुच्छेद का अर्थ रोजगार का अवसर है और इसकी गारंटी यह है कि रोजगार का यह अवसर सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होगा। [पैरा 19-20] [557-ई-एच]

1.7 संविधान का अनुच्छेद 235 उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान करता है। यह नियंत्रण, अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना में सहायक कर्मचारियों और सेवकों सहित अधीनस्थ न्यायालयों से जुड़े सभी पदाधिकारियों तक फैला हुआ है। ऐसा नियंत्रण प्रकृति में विशिष्ट, विस्तार में व्यापक और संचालन में प्रभावी होता है। [पैरा 22] [558-सी-डी, जी]

पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम नृपेंद्र नाथ बागची, 1966 एससीआर 771=ए आइ आर 1966 SC 447, श्री बरादकान्ता मिश्रा बनाम उड़ीसा उच्च न्यायालय के पंजीयक और अन्य 1974 (2) एससीआर 282

= ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 710; योगीनाथ डी. बागडे बनाम महाराष्टर राज्य व अन्य 1999 (2) सप्ली.एस सी आर 490=ए आइ आर 1999 SCC 3734, सूबेदार सिंह वगैरह बनाम जिला न्यायाध्ाीश मिरजापुर व अन्य, ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 201; राजस्थान उच्च न्यायालय बनाम. पी. पी. सिंह और अन्य. 2003 (1) एस. सी. आर. 593 = ए आइ आर 2003 एससी 1029; और पंजीयक, मद्रास उच्च न्यायालय बनाम आर. पेराची वगैरह, 2011 (12) एससीआर 661 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 232; एम. गुरुमूर्ति बनाम महालेखाकार, असम और नागालैंड और अन्य। 1971 (0) पूरक एससीआर 420 = ए. आई. आर 1971 एस. सी. 1850; एच. सी. पुट्टास्वामी और अन्य बनाम मुख्य न्यायाधीश, कर्नाटक उच्च न्यायालय, बैंगलोर और अन्य, 1990 (2) पूरक एस. सी. आर. 552 = ए. आई. आर. 1991 एस. सी. 295; असम राज्य बनाम। भुवन चंद्र दत्ता और अन्य 1975 (3) एससीआर 854 = ए. आई. आर. 1975 एससी 889; बिनोद कुमार गुप्ता और अन्य बनाम राम आश्रय महतो वगैरह। ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 2103-पर निर्भर था।

1.8 उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालयों में चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी या किसी अन्य श्रेणी का रोजगार "सार्वजनिक रोजगार" की परिभाषा के अंतर्गत आता है। इसलिए, ऐसा नियोजन नियमों के तहत और सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के तहत किया जाना चाहिए। देकर नियुक्तियां दी जाएं। संविधान के अनु. 14 और 16 और/या विधायिका

द्वारा बनाए गए ऐसे नियम व प्रावधानों का पालन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए बिना नियुक्ति नहीं की जा सकती क्योंकि इससे पारदर्शिता की कमी होगी और अनु. के प्रावधानों का उल्लंघन होगा। संविधान के अनु. 16 मुख्य न्यायाधीश वैधानिक नियमों के उल्लंघन में कोई नियुक्ति नहीं कर सकते, जिन्हें संविधान की योजना के अनुरूप होना चाहिए। [पैरा 26, 27, 29 और 30] [561-एफ; 562-सी, जी; 563-बी-सी]

प्रद्युत कुमार बोस बनाम मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता उच्च न्यायालय, 1955 एस. सी. आर. 1331 = ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 285; और मुख्य न्यायाधीश, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय बनाम एल. वी. ए दीक्षितुलु वगैरह 1979 (1) एस. सी. आर. 26 = ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 193; पश्चिम बंगाल राज्य वगैरह बनाम देबाशीष मुखर्जी और अन्य। 2011 (13) एससीआर 1077 = एआईआर 2011 एससी 3667; यू. पी. राज्य और अन्य बनाम सी. एल. अग्रवाल और अन्य. 1997 (1) पूरक एससीआर 1 = एआईआर 1997 एससी 2431- संदर्भित किया गया।

1.9 प्रत्येक कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख पहले से ही ज्ञात होती है और इसलिए, किसी विशेष संवर्ग में निकट भविष्य में होने वाली रिक्तियों की संख्या नियोक्ता को हमेशा ज्ञात होती है इसलिए, रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने की कवायद पहले से शुरू होनी चाहिए ताकि यह

सुनिश्चित किया जा सके कि चयनित व्यक्ति पद की उपलब्धता के तुरंत बाद शामिल हो सके, और इस कारण से किसी भी व्यक्ति को तदर्थ आधार पर नियुक्त करने का कोई अवसर नहीं हो सकता है। जिन दैनिक मजदूरों को बाद में नियमित नियुक्ति सुनिश्चित की जाती है, उन्हें शामिल करने की समस्या से बचना होगा और सभी को समान अवसर देते हुए एक निष्पक्ष प्रक्रिया अपनानी होगी। [पैरा 31] [563-एफ-जी]

2. उच्च न्यायालय एक संवैधानिक और स्वायत्त प्राधिकरण है जो किसी के अधीन नहीं है इसलिए, कोई भी उच्च न्यायालय के संवैधानिक अधिकार इस मामले की सुनवाई के उद्देश्य को कमजोर नहीं कर सकता है केवल उच्च न्यायालय को सलाह देने के लिए है कि यदि उसके नियम संविधान के दर्शन के अनुरूप नहीं हैं तो उन्हें संशोधित किया जा सकता है और इसके उल्लंघन में कोई नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। यह आवश्यक है कि उचित नियमों का कड़ाई से अनुपालन हो और नियोक्ता अनु. के मानदंडों का पालन करने के लिए बाध्य है। कोई भी भर्ती करने से पहले संविधान के अनु.14 और 16 तदर्थवाद के खतरे को नियंत्रित करने के लिए, उच्च न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्तियों को भरने की पद्धति का सुझाव दिया गया और इस संबंध में निर्देश दिए गए। उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के लिए उम्मीदवारों के केंद्रीकृत चयन की वांछनीयता की भी जांच कर सकते हैं और इस उद्देश्य को पूरा करने के

लिए नियम तैयार कर सकते हैं। [पैरा 34-35] [564-ई-जी; 565-जी-एच;566-ए,सी]

केस लॉ रेफरेंस

2007 (1) एससीआर 706 पैरा 7 पर भरोसा किया।

1992 (1) एससीआर 565 पैरा 8 पर भरोसा किया।

1992 (3) एससीआर 826 पैरा 8 पर भरोसा किया।

1996 (3) पूरक। एससीआर 424 पैरा 8 पर भरोसा किया।

1996 (3) पूरक। एससीआर 96 पैरा 8 पर भरोसा किया।

2006 (2) एससीआर 537 पैरा 8 पर भरोसा किया।

2006 (2) एससीआर 648 पैरा 8 पर भरोसा किया।

2012 (11) एससीआर 839 पैरा 8 पर भरोसा किया।

1996 (5) पूरक। एससीआर 73 पैरा 9 पर भरोसा किया।

1987 (2) एससीआर 911 पैरा 9 पर भरोसा किया।

1997 (5) पूरक। एस. सी. आर. 604 पैरा 9 पर भरोसा किया।

(2000) 9 एस. सी. सी. 405 पैरा 9 पर भरोसा किया।

(2003) 10 एस. सी. सी. 276 पैरा 10 पर भरोसा किया।

2006 (1) एससीआर 1006 पैरा 11 पर भरोसा किया।

2007 (10) एससीआर 307 पैरा 12 पर भरोसा किया।

2006 (3) एससीआर 953 पैरा 13 पर भरोसा किया।

2011 (2) एससीआर 704 पैरा 14 पर भरोसा किया।

1964 एससीआर 575 पैरा 15 पर भरोसा किया।

1992 (2) एससीआर 109 पैरा 15 पर भरोसा किया।

2001 (3) पूरक। एससीआर 191 पैरा 15 पर भरोसा किया।

2002 (1) पूरक। एससीआर 87 पैरा 15 पर भरोसा किया।

2006 (2) एससीआर 1058 पैरा 15 पर भरोसा किया।

2010 (10) एससीआर 561 पैरा 15 पर भरोसा किया।

(2014) 1 एससीसी 161 पैरा 15 पर भरोसा किया।

1994 (1) एससीआर 348 पैरा 17 पर भरोसा किया।

1990 (1) एससीआर 535 पैरा 18 पर भरोसा किया।

1966 एससीआर 771 पैरा 22 पर भरोसा किया।

1974 (2) एससीआर 282 पैरा 22 पर भरोसा किया।

1999 (2) पूरक। एससीआर 490 पैरा 22 पर भरोसा किया।

ए आइर्र् आर 2001 एससी 201 पैरा 22 पर भरोसा किया।

2003 (1) एससीआर 593 पैरा 22 पर भरोसा किया।

2011 (12) एससीआर 661 पैरा 22 पर भरोसा किया।

1971 पूरक। एससीआर 420 पैरा 23 पर भरोसा किया।

1990 (2) पूरक। एससीआर 552 पैरा 25 पर भरोसा किया।

1975 (3) एससीआर 854, पैरा 25 पर भरोसा किया।

ए आइ आर 2005 एससी 2103 पैरा 26 पर भरोसा किया।

1955 एससीआर 1331 पैरा 27 पर भरोसा किया।

1979 (1) एससीआर 26 पैरा 27 पर भरोसा किया।

2011 (13) एससीआर 1077 पैरा 28 पर भरोसा किया।

1997 (1) पूरक। एससीआर 1, पैरा 28 पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 979/2014

दिल्ली उच्च न्यायालय के अपील संख्या 726/2011 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 05.09.2011 से उत्पन्न।

(2014)3 एडी (एससी) 373: (2014) एआईआर (एससीडब्ल्यू) 1303: (2014) एआईआर (एससी) 2175: (2014) 2 एलएलएम आर 957: (2014) 2 एलएलएम आर (एससी) 957: (2014) ऑलएससीआर 1463: (2014) 2 ऑलडब्ल्यूसी 1608: (2014) 2 एएलटी 24: (2014) 1 सर्वोच्च न्यायालय के फैसले (एससी) 744: (2014) 1 बीबीसीजे 384: (2014) 207 डीएलटी 486: (2014) 1 ईएससी 58: (2014) 142 एफएलआर 415:

(2014) आईएल आर (कर्नाटक) 21953 (2014) 2 आईएलआर (केरल) 803: (2014) 2 जेसीआर 240: (2014) 2 जेएलजे आर 50: (2014) 3 जेटी 1: (2014) 2 केएलटी (एसएन)) 41: (2014) 2 लहिराल्ड (एससी) 1157: (2014) एलआईसी 1237: (2014) 3 एलएलजे 257: (2014) एलएलएन 545: (2014) 5 एलडब्ल्यू 557 (2014) 2 पीएलजेआर 270: (2014) 2 आरएसजे 596: (2014) 2 स्केल 262: (2014) 14 एससीसी 50: (2014) 2 एससीजे 482: (2014) 2 एससीआर 537: (2014) एससीटी 2013 (2014) 3 सिमएलसी 1454: (2014) 3 सिमएलसी 1454: (2014) 2 एसएलजे 314: (2011) 2 एसएलजे 12: (2014) 3 एसएलआर 1: (2014) 1 सुप्रीम 617 (2014) 2 यूपीएलबीईसी 9423 (2014) 3 डब्लूएलएन 113

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

फुल बेच

रेनू और अन्य अपीलकर्ता

बनाम।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी और एक अन्य प्रतिवादी

(पहले एम. यूसुफ इकबाल, जे जस्ती चेलमेश्वर, जे बलबीर सिंह चौहान, जे)

2014 1 की सिविल अपील संख्या 979 (2011 की विशेष् अनुमति याचिका(सिविल) संख्या 26000 से उत्पन्न)

निर्णय दि.: 12-02-2014

भारत का संविधान, 1950 अनुच्छेद 13. अनुच्छेद 13(2), अनुच्छेद 14. अनुच्छेद 15- अनुच्छेद 16. अनुच्छेद 16(1), अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 19. अनुच्छेद 21. अनुच्छेद 229. अनुच्छेद 229 (1) अनुच्छेद 229 (2), अनुच्छेद 235

सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 धारा 16

भारत का संविधान, 1950 अनुच्छेद 13, 13 (2), 14, 15, 16, 16 (1), 19, 21, 162, 229, 229(1), 229(2), 235-सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 धारा 16- अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति सार्वजनिक रोजगार की प्रक्रिया में संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का पालन जरूरी है आज की प्रणाली में, दैनिक मजदूरों और आकस्मिक मजदूरों को आसानी से पेश किया गया है, जिसके बाद उन्हें नियमित करने के प्रयास किए जाते हैं। एक अगला चरण. इसलिए, अधिकांश बार जो मुद्दा उठाया जाता है वह नियुक्तियाँ करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में होता है जो विवेक के अनुचित प्रयोग का संकेत देता है, भले ही नियम अपनाए जाने वाले किसी विशेष तरीके को निर्दिष्ट करते हो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालयों में चतुर्थ श्रेणी, तृतीय

श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या किसी अन्य श्रेणी का रोजगार 'सार्वजनिक रोजगार' की परिभाषा के अंतर्गत आता है। ऐसा रोजगार नियमों के तहत और सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के तहत किया जाना चाहिए किसी प्राधिकारी द्वारा शक्तियों का प्रयोग अनियंत्रित या बेलगाम नहीं हो सकता क्योंकि संविधान प्रत्येक प्राधिकारी के लिए सीमाएं निर्धारित करता है और इसलिए, कोई भी, चाहे वह कितना भी ऊंचा क्यों न हो हो, उसे उस उद्देश्य से परे शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार है जिसके लिए वह उसे प्रदान की गई है। शक्तियों का प्रयोग संविधान और विधायी प्रावधानों के ढांचे के भीतर किया जाना चाहिए, अन्यथा यह संविधान की मूल विशेषताओं के उल्लंघन में शक्ति का प्रयोग होगा यानी भाग 111 मौलिक अधिकारों से संबंधित है जो सीमाएं भी निर्धारित करता है अपील का निपटारा किया जाता है।

उपस्थित पक्षों के लिए वकील

ए. मारियारप्रथम, ए जी, पी.पी मल्होत्रा, एएसजी पीएम नरसिहर बृजेंद्र बाहर और के राधाकृष्णन, अरविंद कुमार शर्मा, सौरभ मिश्रा, मनिता वर्मा, डीएस माहरा के लिए, अनिल कटियार, बी. बालाजी, आर राकेश शर्मा, एस. आनंद साथियासीलन, ए. सेल्विन राजा, सिबो शंकर मिश्रा, श्रीधर पोटाराजू, गेचनपो गगमेई, अर्जुन सिंह, अन्नम डीएन राव, नीलम जैन, ए. वेंकटेश, सुदीप्तो सरकार, वैशाली आर. वीएन रघुपति, अरुणा माथुर, यूसुफ, मेसर्स अर्पुथम, अरुणा एंड कंपनी, अम्भोज कुमार सिन्हा,

अशोक माथुर, सीडी सिंह, सनी चौधरी, शारेया, शर्मिला उपाध्याय, टीजी नारायणन नायर, केएन मधुसूदनन, जीएस चटर्जी, अशोक के श्रीवास्तव, अनिरुद्ध पी. मायी, चारूदत्त महिद्राकर, पीआई जोस, अपीलकर्ता की ओर से आलोक के. प्रसाद और विश्वनाथ बहुगुणा

संदर्भित मामले

यूपी राज्य और अन्य बनाम यूपी स्टेट तो ऑफिसर्स एसोसिएशन और अन्य एआईआर 1994 एससी 1654: (1994) 68 एफएलआर 894: (1994) जेटी 225: (1994) 1 स्केल1 254 (1994) 2 एससीसी 204 (1994) एससीआर 348 (1994) एसएलजे 230 (1994) 1 पूजे 412

• मप्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल बनाम नानूराम यादव एवं अन्य (2007) 11 जेटी 369: (2007) 11 स्केल 439: (2007) 8 एससीसी 264 (2007) 2 एससीसी (एल एंड एस) 883: (2007) 10 एससीआर 307: (2008) एसएलजे 368

प्रद्यात कुमार बोस बनाम कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश, एआईआर 1956 एससी 285 (1955) 2 एससीआर 1331

सुरेश कुमार एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2001) 3 जेटी 453: (2001) 1 स्केल 416: (2003) 10 एससीसी 276: (2001) एयरएससीडब्लू 2545: (2001) 4 सुप्रीम 360

मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम कु संध्या तोमर एवं अन्य (2013) 136 एफएलआर 300:(2013) 1 एलएलएन 397: (2012) 12 स्केल 561: (2013) 1 एसएलजे 295

पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम। देवाशीष मुखर्जी और अन्य AIR 2011 SC 3667(2011)10 स्केल 442: (2011) 14 SCC 187: (2011) 6 UJ 3637: (2011) AIRSCW 5433: (2011) 8 सुप्रीम 542

सूबेदार सिंह एवं अन्य बनाम जिला जज मिर्जापुर और अन्य एआईआर 2001 एससी 201: (2000) 87 एफएल आर 941: (2000) 2 जेटी 628 सप्लिमेंट: (2001)1 एलएलजे 5: (2000):7 स्केल 417: (2001)1 एससीसी 37: (2001) एससीसी (एल एंड एस) 141: (2001)1 यूजे 250: (2000) एयरएससीडब्ल्यू 4086 (2000) 8 सुप्रीम 6

एम. गुरुमूर्ति बनाम महालेखाकार, असम और नागालैंड और अन्य एआईआर 1971 एससी1850 (1971) 22 एफएलआर 327 (1971) 2 एलएलजे 109: (1971) 2 एससीसी 137: (1971). एससीआर 420 सप्ल

प्रभात कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य एआईआर 1996 एससी 2638: (1996)6 जेटी 579: (1996) लेबिक 2268: (1996) 5 स्केल 404: (1996) 10 एससीसी 62: (1996) 3 एससीआर 424 सप्लः (1996) 3 एसएलजे 21: (1996) 2 पूजे 643

हरि वंश लाल बनाम, सहोदर प्रसाद महतो एवं अन्य एआईआर 2010 एससी 3515: (2010) [9. जेटी 192: (2010) 9 एससीसी 655: (2010) 10 एससीआर 561: (2010) एआई आरएससीडब्ल्यू 5567

यूपी राज्य और अन्य बनाम. सीएल अग्रवाल एवं अन्य आदि एआईआर 1997 एससी 2431 (1997) 5 जेटी 551: (1997) 2 एलएलजे 770: (1997) 3 स्केल 762: (1997) 5 एससीसी 1: (1997) 1 एससीआर 1 सप्लिमेंट: (1997) एयरएससीडब्ल्यू 2346: (1997) + सुप्रीम 432

असम राज्य बनाम, भुभन चंद्र दत्ता और अन्य एआईआर 1975 एससी 889: (1975) 4 एससीसी 1: (1975) 3 एससीआर 854 (1) (1975) 7 यूजे 299

सोमराज एवं अन्य आदि बनाम। हरियाणा राज्य और अन्य एआईआर 1990 एससी 1176 (1990) 60 एफएलआर 494: (1990) जेटी 286: (1990) लैब आईसी एलएलजे 1: (1990) 2 एससीसी 653: (1990): एससीआर 535: (1990) 2 पूजे 23 942: (1990) 2 यू जे २३

मैसूर विश्वविद्यालय और अन्य बनाम सीडी गोविंदा राव और अन्य एआईआर 1965 एससी 4915 (1964) 4 एससीआर 575

उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम। ममता मोहती (2011) 112 सीएलटी 46: (2011) 2 स्केल 377: (2011) 3 एससीसी 436: (2011) 2

एससीसी(एस एंड एस) 83 (2011) 2 एससीआर 704 (2011) एपरएससीडब्ल्यू 1992: (2011) एयरएससीडब्ल्यू 1332

भारत संघ (यूओआई) और अन्य बनाम। एन. हरगोपाल और अन्य एआईआर 1987 एससी 1227 (1987) 2 जेटी 182 (1987) लेबिक 915 (1987) 1 एलएलजे 545: (1087) 1 स्केल 753: (1987) 3 एससीसी 308 (1987) 2 एससीआर 910 (1988) एसएलजे 59 (1987) 2 यूजे 41

• राजस्थान के लिए उच्च न्यायालय न्यायपालिका बनाम पीपी सिंह एवं अन्य एआईआर 2003 एससी 1029: (2003) 1 जेटी 403: (2003) स्केल 445: (2003) 4 एससीसी 239: (2003) 1 एससीआर 593 (2003) 1 यूजे 460: (2003) एयरएससीडब्ल्यू 5027 (2003) एयरएससीडब्ल्यू 530: (2003) 6 सुप्रीम 701 (2003) सुप्रीम ९०९

एचसी पुहास्वामी और अन्य बनाम कर्नाटक उच्च न्यायालय गोर के माननीय न्यायाधीश और अन्य एआईआर 1991 एससी 295: (1991) 62 एफएल आर 8 (1090) + जेटी 474: (1991) लैबिक 235: (1990) 2 स्केल 942: (1991) 2 एससीसी 421 सप्लिमेंट: (1991) 2 एससीआर 552 सप्लिमेंट: (1991)) 1 यूजे 126

दिल्ली विकास बागवानी कर्मचारी संघ बनाम दिल्ली प्रशासन, दिल्ली और अन्य एआईआर 1992 एससी 789: (1992) 1 जेटी 394: (1992) लेबिक 847: (1902) 2 एलएलजे 452: (1992) स्केल 294: (1992) 4

एससीसी 99: (1992) एससीआर 565: (1992) एसएलजे 2011 (1992) 1 यूजे 676

• शाखा प्रबंधक राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड और अन्य बनाम श्री एससी पांडे (2006) 3. जेटी 348 (2006) 2 एलएलजे 215 (2006) 2 स्केल 619: (2006) 2 एससीसी 716: (2006) एससीसी (एल एड एस) 434 (2006) 3 एसएलजे १९६

. पश्चिम बंगाल राज्य बनाम नृपेंद्र नाथ बागची. एआईआर 1966 एससी 447 (1968) एलएलजे 270 (1966) एससीआर 771

श्री कुमार पद्मप्रसाद बनाम भारत संघ और अन्य एआईआर 1992 एससी 1213: (1992) [2] जेटी 247 (1993) 2 एलएलजे 972: (1992) 1 स्केल 581: (1992) 2 एससीसी 428 (1992) 2 एससीआर 109: (1092) 2 एसएलजे 115: (1992) यूजे 639

आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश और अन्य बनाम एती दीक्षित और अन्य एआईआर 1979 एससी 193: (1979) लैब आईसी 1672: (1979) 2 एससीसी 34: (1979) एससीआर 26

हरियाणा राज्य और अन्य बनाम पियारा सिंह व अन्य आदि आदि एआईआर 1992 एससी 2130: (1992) [5] जेटी 179: (1993) 2 एलएलजे 937: (1992) 102 पीएल आर 547 (1992) 2 स्केल 384:

(1992) 4 एससीसी 118: (1992) 3 एससीआर 826: (1992) 3 एसएलजे 34:(1992) 2 यूजे 692

उत्पाद शुल्क अधीक्षक मतकापट्टनम, कृष्णा जिला, एपी बनाम केबीएन विश्वेश्वर राव और अन्य (1996) 8 एडी 174: (1997) 75 एफएलआर 353 (1996) 9 जेटी 638 (1997) 1 एलएलजे 56: (1996) 6 स्केल 676: (1996) 6 एमसीसी 216: (1996) 5 एससीआर 73 सप्ल

मोर मॉडर्न कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसायटी लिमिटेड बनाम वित्तीय आयुक्त और सरकार के सचिव हरियाणा और अन्य (2002) 2 एसीसी 501: एआईआर 2002 एससी 2513: (2002)5 जेटी (125 (2002), 5. स्केल 145: (2002) 6 एससीसी 269: (2002) एससीआर 87 सप्लिमेंट: (2002) एआई आरएससीडब्ल्यू 2826 (2002) 5 सर्वोच्च 55

योगीनाथ डी. बाग बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य एआईआर 1999 एससी 3734 (1999) 7 जेटी] 62: (1999) 5 स्केल 620 (1999) 7 एससीसी 739: (1999) एससीसी (एल एंड एस)1385 (1999) 2 एससीआर 490 सप्लिमेंट (2000) एसएलजे 174: (1999) एआई आरएससीडब्लू. 3775 (1999) 8 सुप्रीम 129

आईआर कोएल्हो (मृत) एलआर द्वारा बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य एआईआर 2007 एससी 861: (2007) 2 जेटी 292: (2007)।

स्केल 197: (2007) 2 एससीसी 1: (2007) 1 एससीआर 706: (2007) एआई आरएससीडब्लू 611: (2007) सुप्रीम 137

अरुण तिवारी और अन्य बनाम, जिला मनस्वी शिक्षक संघ एवं अन्य. एआईआर 1998 एससी 331 (1997) 9 जेटी 593 (1997) 7 स्केल 461: (1998) 2 एससीसी 332 (1998).एससीसी (एल.एड.एस). 54.1: (1997)5 एससीआर 604 सप्ल

जेएएस इंटर कॉलेज, खुर्जा, उत्तर प्रदेश और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राजा और अन्य (1996) 6 एडी 48: एआईआर 1996 एससी 3420: (1996) 5 स्केल 292: (1996) 10 एससीसी 71(1996)3 एससीआर 96 सप्ल

• मद्रास बनाम न्यायपालिका के रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय। आर पिराची और अन्य, एआईआर 2012 एससी 232: (2011) 10 जेटी 505: (2011) 10 स्केल 606: (2011) 12.एससीसी 137: (2011) 12 एससीआर 661: (2011) 6 यूजे 3849

अरुण सिंह अरुण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य एआईआर 2006 एससी 141 (2006) 3 जेटी 389: (2006) 3 स्केल 130: (2006) 9 एससीसी 375 (2006) एयरएससीडब्ल्यू 3653] (2006) एयरएससीडब्ल्यू 1306: (2006) 2 सुप्रीम 550. (2006) 4 सुप्रीम 169

बीआर कपूर बनाम, तमिलनाडु राज्य और अन्य (2001) 6 स्केल 309

सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी और अन्य एआई आर 2006 एससी 1806:(2006) 6 कंपएलजे 1: (2006) 4 जेटी 420: (2006) 2 एलएलजे 722: (2006) 4 स्केल 197 (2006) 4 एससीसी 1. (2006) 3 एसएलजे 1: (2006) AIRSCW 1991: (2006) 3 सुप्रीम 415

• संघ लोक सेवा आयोग बनाम गिरीश जयंती तात वाघेला और अन्य एआईआर 2006 एससी 1165: (2006) 6 कॉम्पएलजे 296: (2006) 108 एफएलआर 996: (2006) 2 जेटी 137: (2006) 2 स्केल 115: (2006) 2 एससीसी 482 (2006) एससीसी (एल एड एस) 339: (2006) 1 एससीआर 1006: (2006) 3 एसएलजे 28: (2006) एयरएससीडब्ल्यू 844: (2006) 2 सुप्रीम 221

एमपी हाउसिंग बोर्ड और अन्य बनाम मनोज श्रीवास्तव, एआईआर 2006 एससी 3499 (2006) 101 सीएलटी 580: (2006) 109 एफएलआर 194: (2006) 3 जेटी 73. (2006) 2 एलएलजे 119: (2006) 2 स्केल 572: (2006) 2 एससीसी 702: (2006) एससीसी (एल एड एस) 422: (2006) 2 एसएलजे 464: (2006) एआई आरएससीडब्ल्यू 1215 (2006) 2 सुप्रीम 354

प्रलय

बीएस चौहान, जे.

मामला शुरू में दिल्ली उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित था क्योंकि विवाद 89 दिनों के लिए तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की निरंतरता को लेकर उठा था, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया था। समय-समय पर समान अंतराल के बाद की अवधि। मामला दिल्ली उच्च न्यायालय और अंततः इस न्यायालय तक पहुंचा। इस न्यायालय ने देश भर में अधीनस्थ न्यायालयों में कर्मचारियों की भर्तियों में अनियमितताओं और अवधताओं के संबंध में लगातार शिकायतों का संज्ञान लेते हुए और इन भर्तियों को केंद्रीकृत करने की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए 10.5.2012 के आदेश के तहत मामले को बड़े परिप्रेक्ष्य में लिया। उन्हें पारदर्शी और हस्तांतरणीय बनाएं। इस न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों और राज्यों को मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया। (i) भर्ती को केंद्रीकृत क्यों न किया जाए और (ii) पूरे स्टाफ की सेवा शर्तों से संबंधित प्रासंगिक नियमों में संशोधन करके उन्हें स्थानांतरणीय पद क्यों नहीं बनाया जाए। सभी राज्यों और उच्च न्यायालयों ने अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर दी है और उन सभी का अदालत में विधिवत प्रतिनिधित्व किया गया है।

2. इस न्यायालय ने न्यायालय की सहायता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी.एस. नरसिम्हा को न्याय मित्र नियुक्त किया था। मामले की सुनवाई 28.1.2014 को हुई और विस्तार से विचार-विमर्श हुआ, जिसमें

राज्यों के साथ-साथ उच्च न्यायालयों की ओर से उपस्थित सभी विद्वान वकीलों ने सुझाव दिया कि इस मामले को बड़े परिप्रेक्ष्य में यानी कर्मचारियों की नियुक्तियों के लिए भी निपटाया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में चतुर्थ श्रेणी के पद भी शामिल होने चाहिए। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त जानकारी के आधार पर ऐसी नियुक्तियों में न केवल अनियमितता बल्कि पक्षपात के भी बड़ी संख्या में मामले सामने आये हैं। मामले में उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि इस न्यायालय का कर्तव्य न केवल न्यायिक संस्थानों में अवैधता, अनियमितता, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और पक्षपात की जाँच करना है, बल्कि पिछले दरवाजेसे प्रवेश के खतरे को रोकने के लिए दिशानिर्देश भी प्रदान करना है। जिन कर्मचारियों को बाद में नियमित करने का आदेश दिया जाता है।

3. यह उपरोक्त के मद्देनजर था कि इस न्यायालय ने अपने पहले के आदेशों के तहत राज्यों के साथ-सांधे उच्च न्यायालयों के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान वकील से अपने संबंधित राज्यों/न्यायालयों के रिकॉर्ड की जांच करने और रिपोर्ट करने के लिए कहा था कि क्या एक उचित और निष्पक्ष प्रक्रिया है। उम्मीदवारों के मूल्यांकन के लिए अपनाया गया था। इन मुद्दों पर अलग-अलग वकीलों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली।

4. उपरोक्त दलीलों के मद्देनजर हम अनियमितताओं या अवैधताओं की मात्रा का आकलन करने के लिए रिकॉर्ड का अवलोकन करना आवश्यक नहीं समझते हैं। हमारी मूल चिंता यह है कि न्यायिक संस्थानों में नियुक्तियाँ भारत के संविधान, 1950 (इसके बाद संविधान के रूप में संदर्भित) के अनुच्छेद 16 के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 14 में निहित अवसर की समानता की कसौटी पर की जानी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में नहीं। जो नियुक्ति अवैध है उसे इस कारण से बचाया जाना चाहिए क्योंकि बड़े पैमाने पर लोगों की शिकायत यह है कि लाइट हाउस में पूर्ण अंधकार को दूर करना होगा। न्यायपालिका जो समाज के हर दूसरे पक्ष के कार्यों पर उंगली उठाती है, वह अपने खिलाफ इस तरह के आरोप बर्दाशत नहीं कर सकती।

5. कानून का शासन संविधान की मूल विशेषता है। एक समय था जब REX LEX था। अब हम यह कहना चाहते हैं कि LEX, REX है। यह स्वयंसिद्ध है कि कोई भी प्राधिकारी कानून से ऊपर नहीं है और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 13(2) में प्रावधान है कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जो संविधान के भाग 111 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के विपरीत हो। इस तरह के प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कानून के किसी भी सोत, स्थायी या अस्थायी, विधायी या न्यायिक या किसी अन्य स्रोत से निकलने वाले उपकरण मौलिक अधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का सम्मान

करें। इस प्रकार, अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से मौतिक अधिकारों के संबंध में संविधान की सर्वोपरिता को सुरक्षित करना है।

6. उपरोक्त प्रावधान कानून के शासन के कानूनी सिद्धांत के अनुरूप है और वे हमें अंग्रेजी न्यायविद हेनरी डी ब्रेक्टन के प्रसिद्ध शब्दों की याद दिलाते है "राजा किसी व्यक्ति के अधीन नहीं बल्कि ईश्वर और कानून के अधीन है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है. यह कहावत "चाहे आप कितने भी ऊंचे क्यों न हो, कानून आपसे ऊपर है सभी पर लागू होता है, चाहे उसकी स्थिति, धर्म, जाति, पंथ, लिंग या संस्कृति कुछ भी हो। संविधान सर्वोच्च कानून है, संविधान के तहत बनाई जा रही सभी संस्थाए, चाहे वह विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका, इसकी अनदेखी नहीं कर सकतीं।

किसी प्राधिकारी द्वारा शक्तियों का प्रयोग अनियंत्रित या निरंकुश नहीं हो सकता क्योंकि संविधान प्रत्येक प्राधिकारी के लिए सीमाएं निर्धारित करता है और इसलिए किसी को भी, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, उस उद्देश्य से परे शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है जिसके लिए उसे अधिकार प्राप्त है। उसे प्रदान किया गया. इस प्रकार, शक्तियों का प्रयोग संविधान और विधायी प्रावधानों के ढांचे के भीतर किया जाना चाहिए, अन्यथा यह संविधान की बुनियादी विशेषताओं यानी मौलिक अधिकारों से

संबंधित भाग III के उल्लंघन में शक्ति का प्रयोग होगा जो सीमाएं भी निर्धारित करता है।

7. संविधान का अनुच्छेद 14 अवसर की समानता का प्रावधान करता है। यह हमारे संविधान की आधारशिला हैः-

में आईआर कोएल्हो (मृत) एसआर द्वारा बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं के सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा निम्नानुसार समझाया गया हैः-

> "बुनियादी संरचना का सिद्धांत इस बात पर विचार करता है कि संविधान के कुछ हिस्से या पहलू है जिनमें अनुच्छेद 15. अनुच्छेद 21 के साथ अनुच्छेद 14 और 19 पढ़े जाते हैं जो मूल मूल्यों का गठन करते हैं जिन्हें यदि निरस्त करने की अनुमति दी गई तो संविधान की प्रकृति पूरी तरह से बदल जाएगी। मौलिक अधिकारों के बहिष्कार से मूल संरचना सिद्धांत का निष्प्रभावीकरण हो जाएगा, जिसका उद्देश्य संविधान की बुनियादी विशेषताओं की रक्षा करना है, जैसा कि भाग III में अधिकारों के सारांश दृश्य से संकेत मिलता है।"

8. चूंकि अनुच्छेद 14 हमारी व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है, इसलिए राज्य की प्रत्येक कार्रवाई को समानता की कसौटी पर परखा जाना

चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के जनादेश का उल्लंघन करके की गई कोई भी नियुक्ति न केवल अनियमित है, बल्कि अवैध भी है और इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के मद्देनजर इसे कायम नहीं रखा जा सकता है। दिल्ली विकास बागवानी कर्मचारी न बनाम दिल्ली प्रशासन, दिल्ली और अन्य हरियाणा राज्य और अन्य बनाम। पिवास सिंह आदि प्रभात कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य जेएएस इंटर कॉलेज, गुर्जा, उत्तर प्रदेश और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य एमपी हाउसिंग बोर्ड और अन्य बनाम मनो श्रीवास्तव शाखा प्रबंधक, मप्र राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड और अन्य बनाम श्री एससी (पांडे और प्रदेश राज्य और अन्य बनाम कु. संध्या एवं अन्य

9. उत्पाद शुल्क अधीक्षक मलकापट्टनम, कृष्णाजिला एपी बनाम केबीएन रिस और अन्य इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ ने अपने पहले के फैसले पर पुनर्विचार कियाभारत और बनाम एन हरगोपात और अन्य जिसमें यह माना गया था कि रोजगार कार्यालयों के माध्यम से मांग का आग्रह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को प्रतिबंधित करने के बजाय आगे बढ़ाता है। हालांकि, रोजगार कार्यालय द्वारा नामों को प्रायोजित न करने की संभावना के कारण, इस न्यायालय ने माना कि आवेदन आमंत्रित किए बिना अस्थायी या तदर्थ आधार पर कोई भी नियुक्ति संविधान के उक्त प्रावधानों का उल्लंघन है और भते ही उम्मीदवारों के नाम रोजगार कार्यालय से अपेक्षित इसके अतिरिक्त, नियोक्ता

की ओर से सभी पात्र उम्मीदवारों से खुले बाजार से आवेदन आमंत्रित करना अनिवार्य है क्योंकि केवल रोजगार कार्यालय से नाम पुकारना संविधान के उक्त अनुच्छेदों की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। न्यायालय ने आगे कहा-

इसके अलावा, उपयुक्त विभाग को व्यापक प्रसार वाले समाचार पत्रों में प्रकाशन करके नाम मंगाने चाहिए और अपने कार्यालय नोटिस और रोजगार समाचार बुलेटिनों पर भी प्रदर्शित करना चाहिए और फिर आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों के मामले पर विचार करें। यदि यह प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो निष्पक्ष खेल की सेवा नहीं होगी। रोजगार के मामले में अवसर की समानता सभी पात्र उम्मीदवारों को उपलब्ध होगी।

(महत्व जोड़े)

यह सभी देखें: तिवारी और अन्य बनाम जिला मनसवी शिक्षक संघ् एवं अन्य और बसवराज आर (पाटिल और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, 2001 एससीसी 871

10. सुरेश कुमार एवं अन्य बनाम हरिया राज्य और अन्य इस न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा जिसमें पुलिस विभाग में बिना विज्ञापन के की गई 1600 नियुक्तियां रद्द कर दी गई. हालांकि पंजाब पुलिस नियम, 1934 में इस तरह के पाठ्यक्रम का प्रावधान नहीं था। उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि

चयन की प्रक्रिया दूषित हो गई क्योंकि बड़े पैमाने पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए कोई विज्ञापन और उचित प्रचार नहीं किया गया था।

11. संघ लोक सेवा आयोग बनाम गिरीशजी तावता और अन्य इस न्यायालय ने कहाः-

...राज्य के अंतर्गत किसी भी पद पर नियुक्ति उचित विज्ञापन के बाद ही की जा सकती है, जिसमें पोम्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाए और विशेषज्ञों के एक निकाय या विशेष रूप से गठित समिति, जिसके सदस्य निष्पक्ष और निष्पक्ष हो, द्वारा चयन किया जाए। विज्ञापन के जवाब में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की पारस्परिक योग्यता को आंकने के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या कुछ अन्य सर्कसंगत मानदंड पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए बिना विज्ञापन जारी किए राज्य या संघ के तहत किसी पद पर की गई कोई भी नियमित नियुक्ति और उचित चपन के बिना, जहां सभी योग्य उम्मीदवारों को प्रतिस्पर्धा करने का उचित मौका मिलता है, संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत निहित गारंटी का उल्लंघन होगा..

(महत्व जोड़ें)

12. सार्वजनिक नियुक्तियों के मामले में अपनाए जाने वाले सिद्धांत इसी न्यायालय द्वारा तैयार किए गए मप्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड भोपाल बनाम नूराम यादव एवं अन्य निम्नानुसार-

(1) नियमों / सरकारी परिपत्रों के तहत उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना और विज्ञापन के बिना या खुले बाजार से आवेदन आमंत्रित किए बिना की गई नियुक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन मानी जाएंगी।

(2) नियमितीकरण नियुक्ति का माध्यम नहीं हो सकता।

(3) कानून के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन करके और विशेष रूप से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अन्य आवश्यक योग्यता की अनदेखी करके की गई नियुक्ति पूरी तरह से अवैध होगी। ऐसी अवैधता को नियमितीकरण का सहारा लेकर ठीक नहीं किया जा सकता।

(4) जो लोग पिछले दरवाजे से आते हैं उन्हें उस दरवाजे से जाना चाहिए।

(5) यदि नियुक्तियों वैधानिक नियमों के उल्लंघन में की गई हैं तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत प्रदत्त वैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी भी नियमितीकरण की अनुमति नहीं है।

(6) न्यायालय को अनुचित सहानुभूति पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

(7) यदि की गई शरारत इतनी व्यापक और सर्वव्यापी है, परिणाम को प्रभावित कर रही है, जिससे कि उन व्यक्तियों को चुनना मुश्किल हो गया है जिन्हें गैरकानूनी रूप से लाभान्वित किया गया है या गलत। तरीके से उनके चयन से वंचित किया गया है, तो इसे जारी करना न तो संभव होगा और न ही आवश्यक होगा। प्रत्येक चयनकर्ता को व्यक्तिगत कारण बताओ नोटिस एकमात्र रास्ता यह होगा कि संपूर्ण चयन रद्द कर दिया जाए।

(8) जब पूरा चयन बदबूदार हो, धोखाधड़ी में रचा गया हो और धोखे में दिया गया हो, तो व्यक्तिगत निर्दोषता का कोई स्थान नहीं है और पूरे चयन को अलग रखना होगा।

13. इसी तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा भी दोहराया गया कि राज्य और अन्य बनाम उमादेवी और अन्य यह देखते हुए कि वैधानिक नियमों के उल्लंघन के साथ-साथ संविधान के अनुछेद 14 और 16 के उल्लंघन में की गई कोई भी नियुक्ति अमान्य होगी। सार्वजनिक रोजगार की प्रक्रिया में संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का पालन आवश्यक है। न्यायालय ने इस प्रार्थना को भी खारिज कर दिया कि लंबे समय से काम कर रहे तदर्थ नियुक्त लोगों को नियमित करने पर विचार किया जाए क्योंकि ऐसा पाठ्यक्रम केवल राज्य को अपने नियमों का उल्लंघन करने के लिए प्रोत्साहित करता है और प्रतिस्पर्धा के लिए

इंतजार कर रहे कई लोगों की कीमत पर कुछ को अनुचित लाभ प्रदान करेगा।

14 उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम ममता मोहंती, यह न्यायालय सभी को अवसर की समानता प्रदान करने के संवैधानिक सिद्धांत पर विचार करता है जिसके लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है कि रिक्ति को पहले से अधिसूचित किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि भर्ती की जानकारी सभी योग्य उम्मीदवारो की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करते हुए सार्वजनिक डोमेन में उचित तरीके से प्रसारित की जानी चाहिए इससे समान अवसर का अधिकार प्रभावी होता है। न्यायालय ने निम्नानुसार कहाः-

इसलिए, यह एक स्थापित कानूनी प्रस्ताव है कि सभी योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए बिना किसी भी व्यक्ति को अस्थायी या तदर्थ आधार पर भी नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यदि कोई नियुक्ति केवल रोजगार कार्यालय से नाम आमंत्रित करने या नोटिस बोर्ड पर नोट लगाने आदि से की जाती है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की आवश्यकता को पूरा नहीं करेगी। ऐसा पाठ्यक्रम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के आदेशों का उल्लंघन करता है क्योंकि यह उन उम्मीदवारों को विचार करने से वंचित करता है जो पद के लिए पात्र है। इन प्रावधानों का उल्लंघन करके नियोजित व्यक्ति वेतन सहित किसी भी राहत का हकदार नहीं है। वैध एवं कानूनी नियुक्ति के लिए उक्त संवैधानिक

आवश्यकता का अनुपालन अनिवार्य है। अनुच्छेद 16 में निहित समानता खंड के लिए आवश्यक है कि ऐसी प्रत्येक नियुक्ति एक खुले विज्ञापन द्वारा की जाए ताकि सभी पात्र व्यक्तियों को योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाया जा सके।

15. जहां ऐसी कोई नियुक्तियां की जाती है, उन्हें अदालत में चुनौती दी जा सकती है। यथा वारंटो कार्यवाही एक न्यायिक उपाय प्रदान करती है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति, जो एक स्वतंत्र वास्तविक सार्वजनिक कार्यालय या मताधिकार या स्वतंत्रता रखता है, को यह दिखाने के लिए कहा जाता है कि वह किसअधिकार से उक्त कार्यालय, मताधिकार या स्वतंत्रता रखता है, ताकि उस पर उसका अधिकार हो सके। विधिवत निर्धारित किया जाना चाहिए, और यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि कार्यालय के धारक के पास कोई शीर्षक नहीं है, तो उसे न्यायिक आदेश द्वारा उस कार्यालय से बाहर कर दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में, यथा वारंटो की प्रक्रिया न्यायपालिका को कार्यपालिका को कानून के विरुद्ध सार्वजनिक पद पर नियुक्ति करने से नियंत्रित करने और एक नागरिक को उस सार्वजनिक पद से वंचित होने से बचाने का हथियार देती है, जिसका वह अधिकार है। ये कार्यवाहियाँ जनता को सार्वजनिक पद पर कब्जा करने वालों से भी बचाती है जिन्हें या तो कार्यपालिका की मिलीभगत से या उसकी उदासीनता के कारण जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है। इस प्रकार, यह देखा जाएगा कि इससे पहले कि कोई व्यक्ति प्रभावी ढंग से

अधिकार वारंट का दावा कर सके, उसे न्यायालय को संतुष्ट करना होगा कि विचाराधीन कार्यालय एक सार्वजनिक कार्यालय है और कानूनी अधिकार के बिना एक सूदखोर के पास है, और यह अनिवार्य रूप से नेतृत्व करेगा। इस बात की जांच की जाएगी कि कथित सूदखोर की नियुक्ति कानून के मुताबिक की गई है या नहीं। यथास्थिति वारंट जारी करने के लिए, न्यायालय को संतुष्ट होना होगा कि नियुक्ति वैधानिक नियमों के विपरीत है और पद धारण करने वाले व्यक्ति को इसे धारण करने का कोई अधिकार नहीं है। (वीडियो: मैसूर विश्वविद्यालय और अन्य बनाम सीडी गोविंदा राव और अन्य श्री कुमार पद्म प्रसाद बनाम भारत संघ और अन्य बीआर कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य मोर मॉडर्न को ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसायटी लिमिटेड बनाम वित्तीय आयुक्त और सरकार के सचिव हरियाणा और अन्य: अरुण सिंह @ अरुण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य हरि बंश लाल बनाम सहोदर प्रसाद महतो एवं अन्य और ओडिशा की केंद्रीय विदयुत आपूर्ति उपयोगिता बनाम धोबी साहू और अन्य। (2014) 1 एससीसी 161) |

16. सार्वजनिक नियुक्ति की एक और महत्वपूर्ण आवश्यकता पारदर्शिता की है। इसलिए, विज्ञापन में चयन और भर्ती के लिए उपलब्ध पदों की संख्या निर्दिष्ट होनी चाहिए। ऐसे पदों के लिए योग्यता और अन्य पात्रता मानदंड स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने चाहिए और भर्ती प्रक्रिया की अनुसूची निश्चितता और स्पष्टता के साथ प्रकाशित की जानी चाहिए।

विज्ञापन में उन नियमों को भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए जिनके तहत चयन किया जाना है और नियमों के अभाव में, वह प्रक्रिया जिसके तहत चयन होने की संभावना है। यह मनमानी को रोकने और चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद चयन के मानदंडों में बदलाव से बचने के लिए आवश्यक है, जिससे दूसरों की कीमत पर किसी को अनुचित लाभ मिलता है।

17. इस प्रकार, उपरोक्त निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के संदर्भ में सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति करते समय सीमाएं निर्धारित करने का अधिकार है। इस न्यायालय द्वारा बार-बार जिस बात की निंदा की गई है वह है "पिछले दरवाजे से नियुक्तियों या नियमों के विपरीत नियुक्ति" में यूपी राज्य और अन्य बनाम यूपी स्टेट लॉ ऑफिसर्स एसोसिएशन और अन्य सार्वजनिक नियुक्ति में बैक डोर प्रविष्टियों से निपटने के दौरान इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः-

नियुक्ति की पद्धति वास्तव में यह सुनिश्चित करने के लिए नहीं बनाई गई है कि केवल मेधावी को ही हमेशा नियुक्त किया जाएगा या कि की गई नियुक्तियाँ योग्यता के अलावा अन्य विचारों पर नहीं होंगी। दिशानिर्देशों के अभाव में, नियुक्ति पूरी तरह से व्यक्तिगत या राजनीतिक विचार-विमर्श पर की जा सकती है और मनमानी हो सकती है। ऐसा इसलिए है कि जो लोग ऐसी मनमानी प्रक्रिया से नियुक्त होते हैं, वे शायद ही शिकायत कर सकते है यदि उनकी नियुक्ति की समाप्ति भी समान रूप से मनमाना है। जो लोग

पिछले दरवाजे से आते हैं उन्हें उसी दरवाजे से जाना पड़ता है शुरुआत से ही कुछ अनुबंध और अनुबंध लूट प्रणाली के संचालन का उत्पाद हो सकते हैं। उन्हें बचाने के लिए किसी कानूनी चिंता की जरूरत नहीं है.

(महत्व जोड़ें)

18. सोम राज एवं अन्य आदि बनाम हरियाणा राज्य और अन्य इस न्यायालय ने निम्नानुसार माना मनमानी शक्ति का अभाव कानून के शासन की पहली अवधारणा है जिस पर हमारी पूरी संवैधानिक इमारत आधारित है। कानून के शासन द्वारा शासित प्रणाली में, जब एक कार्यकारी प्राधिकारी को विवेकाधिकार प्रदान किया जाता है तो उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमाओं के भीतर ही सीमित किया जाना चाहिए। नियम चयन सूची से नियुक्ति करने में विवेक के प्रयोग के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जो चयन में प्राप्त प्रदर्शन और स्थिति के आधार पर तैयार की गई थी। नियुक्ति प्राधिकारी को किसी अन्य प्रासंगिक नियम, जैसे रोटेशन या आरक्षण, यदि कोई हो, या किसी अन्य वेध और बाध्यकारी नियम या कानून के बल वाले निर्देशों के अधीन, पदक्रम के क्रम में नियुक्ति करनी है। यदि विवेक का प्रयोग बिना किसी सिद्धांत के या बिना किसी नियम के किया जाता है, तो यह कानून के शासन के विपरीत स्थिति है। विवेक का अर्थ है कानून द्वारा निर्देशित या नियमों के ज्ञात सिद्धांतों द्वारा शासित ठोस विवेक, न कि प्राधिकारी की सनक या सनक से।

19. उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की नियुक्तियाँ करने या अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने में मुख्य न्यायाधीश संवैधानिक समर्थन के साथ एक प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए यह शक्ति मुख्य न्यायाधीश की सुरक्षित अभिरक्षा में सौपी गई है, जो सरकार के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है और जिसके अधिकार को बनाए रखा जाना है। मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयोग किए गए विवेक को सुप्रसिद्ध आधारों को छोड़कर, चुनौती के लिए खुला नहीं किया जा सकता है, अर्थात, जब विवेक का प्रयोग भेदभावपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण, या इस तरह का हो

20. संविधान के तहत भी, अनुच्छेद 229 (1) के तहत मुख्य न्यायाधीश को दी गई नियुक्ति की शक्ति अनुच्छेद 16(1) के अधीन है, जो रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी देता है। इस अनुच्छेद में प्रयुक्त 'अवसर का अर्थ रोजगार का अवसर है और इसकी गारंटी यह है कि रोजगार का यह अवसर सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होगा।

21. सुरक्षा के तौर पर संविधान ने यह भी माना है कि उच्च न्यायालय के आंतरिक प्रशासन में मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य शक्ति का अधिकार क्षेत्र नहीं होना चाहिए। न्यायिक हस्तक्षेप को सक्षम करने के लिए, यह दिखाने के लिए केवल एक बहुत मजबूत और ठोस तर्क

की आवश्यकता होगी कि इस शक्ति का दुरुपयोग किया गया है। यदि किसी प्राधिकारी ने अपने विवेक का प्रयोग सद्भावना से किया है। और किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है, तो विवेक के ऐसे प्रयोग में अदालतों द्वारा केवल इस आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए कि इसका प्रयोग अलग तरीके से किया जा सकता था या यहां तक कि अदालतों ने इसका प्रयोग किया होगा। यदि मामला पहली बार में या उस परिप्रेक्ष्य में उसके सामने लाया गया होता तो यह अलग होता।

22. संविधान का अनुच्छेद 235 उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान करता है। निस्संदेह, यह नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना में सहायक कर्मचारियों और सेवको सहित अधीनस्थ न्यायालयों से जुड़े सभी पदाधिकारियों तक फैला हुआ है। यदि प्रशासनिक नियंत्रण प्रशासनिक और मंत्रिस्तरीय कर्मचारियों पर नहीं किया जा सकता है, यानी पदि उच्च न्यायालय न्यायिक अधिकारियों के अलावा जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों और मंत्रालयिक कर्मचारियों पर नियंत्रण की अपनी शक्तियों से वंचित हो जाएगा तो उद्देश्य इसमें प्रदान की गई अधीक्षण व्यवस्था विफल हो जाएगी और ऐसी व्याख्या अधीनस्थ न्यायालयों के सामंजस्यपूर्ण, कुशल और प्रभावी कामकाज के लिए पूरी तरह से विनाशकारी होगी। न्यायालय ऐसी संस्थाएँ या संस्थाएँ है जहाँ सभी अंग न्यायालयों की पूरी प्रणाली की पूरा करते हैं और जब संवैधानिक

प्रावधान इतने व्यापक आयाम के होते है कि वे न्यायालयों और न्यायिक कार्यालय से संबंधित व्यक्तियों दोनों को कवर करते हैं, तो अन्य अंगों को बाहर करने का कोई कारण नहीं होगा। न्यायालयों, अर्थात् प्रशासनिक पदाधिकारियों और इसकी स्थापना के मंत्रालयिक कर्मचारियों को नियंत्रण के दायरे से बाहर कर दिया गया है। ऐसा नियंत्रण प्रकृति में विशिष्ट, विस्तार में व्यापक और संचालन में प्रभावी होता है (वीडियो: पश्चिम बंगाल राज्य बनाम नृपेंद्र नाथ बागची श्री बरदाकांत मिश्रा बनाम उडीसा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार और अन्य एआईआर 1974 एससी 710: योगीनाथ ही बाग बना राज्य और अन्य सूबेदार सिंह एवं अन्य बनाम जिला जज मिर्जापुर और अन्य राजस्थान के लिए उन् न्यायालय न्यायपालिका बनाम पीपी सिंह एवं अन्य औरमदास बनाम न्यायपालिका के रजिस्ट्रार जनर उच्च न्यायालय आर. पेराची और अन्य,

23. एम. गुरुमूर्ति बनाम महालेखाकार, असम और नागालैंड और अन्य इस न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा:

अनुच्छेद 229 को अधिनियमित करने में संविधान निर्माताओं का स्पष्ट उद्देश्य और स्पष्ट इरादा यह है कि उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति को सर्वोच्च प्राधिकारी होना चाहिए और हो सकता है। अनुच्छेद में प्रदान की गई सीमित सीमा को छोड़कर कार्यपालिका द्वारा कोई हस्तक्षेप

नही..... इस प्रकार अनुच्छेद 229 में एक विशिष्ट और अलगयोजना है और अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश को पूर्ण स्वतंत्र पर विचार करता है। उच्च न्यायालय और उनकी सेवा की शर्तें।

24. इस मामले में, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की नियुक्ति के मामलों में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों का वर्णन किया, लेकिन इस न्यायालय ने किसी भी तरह से यह निर्धारित नहीं किया कि मुख्य न्यायाधीश ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं उच्च न्यायालय की स्थापना में नियुक्तियाँ करते समय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के प्रावधानों का उल्लंघन

25. एचसी मुहास्वामी और अन्य बनाम कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलोर के माननीय मुख्य न्याया और अन्य इसी तरह की स्थिति से निपटने और संविधान के अनुच्छेद 229 (2) और कर्नाटक राज्य सिविल सेवा (मंत्रिस्तरीय पदों पर भर्ती) नियम, 1966 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए. इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा विज्ञापन के बिना की गई नियुक्तियों पर रोक लगा दी। संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) का उल्लंघन होने के कारण रिक्तियां अमान्य है। न्यायालय उक्त निष्कर्ष पर पहुंचा क्योंकि नियुक्तियाँ नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई थी। न्यायालय ने आगे कहाः-

जब कि न्यायालयों का प्रशासन शायद कभी भी आलोचकों से रहित नहीं रहा है, मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपनाई गई भर्ती की पद्धति बेजोड़ प्रतीत होती है... मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपनाई गई पद्धति स्पष्ट रूप से गलत थी और यह निस्संदेह विचलन भी कानून का पाठ्यक्रम जिसकी रक्षा और संरक्षण उच्च न्यायालय को करना है।

न्यायपालिका संवैधानिक सिद्धांतों की संरक्षक है जो कानून के शासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह उन मूल्यों के समूह की सुरक्षा का माध्यम है जो हमारे सामाजिक और राजनीतिक दर्शन का अभिन्न अंग है। न्याय प्रशासन में न्यायाधीश सबसे प्रमुख अभिनेता होते हैं। उनके मामले के निर्णय सबसे सार्वजनिक रूप से दिखाई देने वाले परिणाम है। लेकिन न्याय प्रशासन विवादित मामलों का निर्णय ही नहीं कर रहा है। इसमें इससे कहीं अधिक बहुत कुछ शामिल है। न्यायालयों में न्याय प्रशासन के किसी भी यथार्थवादी विश्लेषण में न्यायाधीशों के व्यवहार और उनकी प्रशासनिक भूमिकाओं की समग्रता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। वे न्याय प्रशासन के केवल मामूली पहलू प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से वे तुच्छ नहीं है। हमारी राय में, वे उस ढांचे का एक बड़ा हिस्सा है जो आम आदमी की इस धारणा का प्रतिनिधित्व करता है कि अदालतें क्या है और न्यायाधीश अपना काम कैसे करते हैं। मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय में प्रमुख शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 229 में प्रावधान है कि उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति

मुख्य न्यायाधीश या न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा की जाएगी जैसा कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को सुरक्षित करना था जिसे तब तक पूरी तरह से सुरक्षित नहीं माना जा सकता जब तक कि उन पर पूर्ण नियंत्रण के साथ सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार मुख्य न्यायाधीश में निहित न हो। इस विषय पर कोई असहमति नहीं हो सकती. उच्च न्यायालय की पूर्ण एवं पूर्ण प्रशासनिक स्वतंत्रता की अनिवार्य आवश्यकता है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य प्रशासनिक न्यायाधीश पूर्ण शासक नहीं होता है। न ही वह कोई फ्री व्हीतर है. उसे कानून की स्वच्छ दुनिया में काम करना चाहिए गंदे माहौल के पड़ोस में नहीं यह सुनिश्चित करना उसका कर्तव्य है कि प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने में, वह उसी सिद्धांतों और मूल्यों द्वारा संचालित हो, जिस न्यायालय में वह सेवा दे रहा है। वह अपने आह्वान के संवैधानिक लोकाचार और परंपराओं से अलग नहीं हो सकते और वास्तव में उन्हें इसके प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। हमें यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जिन लोगों से दूसरों के आचरण की निगरानी करने की अपेक्षा की जाती है, उन्हें अनिवार्य रूप से नैतिक और बौद्धिक शुद्धता के उच्च मानकों को बनाए रखना चाहिए जनता की उम्मीदें भी कम नहीं दिख रही है.

महत्व जोड़ें)

(यह सभी देखें: असम राज्य बनाम भुभन चंद्र दत्ता और अन्य

26. बिनोद कुमार गुप्ता एवं अन्य में बनाम राम आश्रय महोतो और अन्य एआईआर 2005 एससी 2103, इस न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि सिविल कोर्ट नियमों के तहत अधीनस्थ न्यायालयों में चतुर्थ श्रेणी के पद पर पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए बिना समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए बिना नियुक्ति की जा सकती है क्योंकि इससे पारदर्शिता की कमी और उत्लंघन होगा। संविधान के अनुच्छेद 16 के प्रावधानों के न्यायालय ने ऐसे नियुक्त व्यक्तियों की सेवाएँ समाप्त कर दी जिन्होंने 15 वर्षों तक भी काम किया था, यह देखते हुए कि न्यायालय अन्यथा उनकी प्रारंभिक नियुक्ति में घोर अनियमितता को नज़र अंदाज करने का दोषी होगा।"

27. यह कहना कि मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 14 और 16 के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है, इससे अनिश्चितकालीन निष्कर्ष निकलेगा कि मुख्य न्यायाधीश बिना कोई जांच किए या प्राकृतिक न्याय / नियमों आदि के सिद्धांतों का पालन किए बिना उसे बर्खास्त भी कर सकता है. सामान्य धारा अधिनियम, 1897 की धारा 16 के अनुसार नियुक्ति की शक्ति में हटाने / निलंबित / बर्खास्त करने की शक्ति शामिल है (वीडियो: प्रद्यात कुमार बोस

बनाम कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश और आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश और अन्य बनाम एलवीए दीक्षित और अन्य,

लेकिन चूंकि किसी भी कर्मचारी को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना या उसकी नियुक्ति की शर्तों का उल्लंघन करते हुए हटाया नहीं जा सकता है, इसलिए ऐसा पाठ्यक्रम मुख्य न्यायाधीश के लिए उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए, इसका स्वाभाविक परिणाम यह है कि मुख्य न्यायाधीश वैधानिक नियमों के उल्लंघन में कोई नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, जिन्हें हमारे संविधान की योजना के अनुरूप होना चाहिए।

28. पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम देवाशीष मुखर्जी और अन्य इस न्यायालय ने फिर से संविधान के अनुच्छेद 229 के प्रावधानों पर विचार किया और माना कि मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के कर्मचारी को अतार्किक या मनमाने तरीके से कोई राहत नहीं दे सकते जब तक कि नियम ऐसी असाधारण राहत प्रदान न करें। मुख्य न्यायाधीश के आदेश में ऐसी असाधारण परिस्थितियों के अस्तित्व का संदर्भ होना चाहिए और आदेश में यह स्पष्ट होना चाहिए कि उन असाधारण परिस्थितियों पर दिमाग का प्रयोग किया गया है और मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित ऐसे आदेश न्यायसंगत है। मामले पर फैसला करते समय, अदालत ने संविधान पीठ के अपने पहले के फैसले पर भरोसा जतायापूपी राज्य और अन्य बनाम सीएल अग्रवाल एवं अन्य आदि।.

29. इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कानून को इस आशय से संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 229 (2) के तहत शक्तियों का प्रयोग मुख्य न्यायाधीश द्वारा निरंकुश और मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता है। नियुक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के प्रावधानों और/या विधायिका द्वारा बनाए गए ऐसे नियमों का पालन करते हुए की जानी चाहिए।

30. आज की व्यवस्था में दैनिक मजदूरों और केजुअल मजदूरों को सुविधापूर्वक शामिल किया गया है। जिसके बाद अगले चरण में उन्हें नियमित करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए, अधिकांश बार जो मुद्दा उठाया जाता है वह नियुक्तियाँ करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में होता है जो विवेक के अनुचित प्रयोग का संकेत देता है, भले ही नियम अपनाए जाने वाले किसी विशेष तरीके को निर्दिष्ट करते हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालयों में चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या किसी अन्य श्रेणी का रोजगार "सार्वजनिक रोजगार की परिभाषा के अंतर्गत आता है। इसलिए ऐसा नियोजन नियमों के तहत और सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के तहत किया जाना चाहिए।

31. हमारे जैसे लोकतांत्रिक ढांचे में, जो कानून के शासन द्वारा शासित होता है, कानून की सर्वोच्चता को स्वीकार किया जाना चाहिए और

मनमानी की अनुपस्थिति को लगातार कानून के शासन का सार बताया गया है। इस प्रकार, शक्तियों को नहरबद्ध किया जाना चाहिए और बेलगाम नहीं होना चाहिए ताकि संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन हो। रोजगार के मामले में अवसर की समानता संवैधानिक आदेश है, इसका हमेशा पालन किया गया है। निर्विवाद प्राधिकार सदैव संविधान के प्राधिकार के अधीन होता हे जितना ऊँचा गणमान्य व्यक्ति होगा, उतनी ही अधिक निष्पक्षता देखने की अपेक्षा की जाती है। हम ये नहीं कहते कि शक्तियां कम की जाएं. हम जो कहना चाहते हैं वह यह है कि शक्ति का प्रयोग केवल संवैधानिक और कानूनी सीमाओ की चौड़ाई तक ही किया जा सकता है। प्रत्येक कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख पहले से ही ज्ञात होती है और इसलिए, किसी विशेष संवर्ग में निकट भविष्य में होने वाली रिक्तियों की संख्या नियोक्ता को हमेशा ज्ञात होती है। इसलिए, रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने की कवायद पहले से शुरू होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चयनित व्यक्ति पद की उपलब्धता के तुरंत बाद शामिल हो सके, और इसलिए किसी भी व्यक्ति को तदर्थ आधार पर नियुक्त करने का कोई अवसर नहीं हो सकता है। कारण कि जिन दैनिक मजदूरों की नियमित नियुक्ति सुनिश्चितकी जाती है, उन्हें बाद में शामिल करने की समस्या से बचना होगा और सभी को समान अवसर देते हुए एक निष्पक्ष प्रक्रिया अपनानी होगी।

32. यह ठीक ही कहा गया है "पूर्णता असाधारण कार्यों को करने में नहीं, बल्कि सामान्य कार्यों को असाधारण ढंग से करने में निहित है।"

33. हमें उच्च न्यायालयों और राज्य द्वारा दी गई प्रतिक्रिया का लाभ मिला। झारखंड केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और उत्तराखंड जैसे कुछ राज्यों ने अपने अपने हलफनामों में बताया है कि अधिकांश पदों की भर्ती केंद्रीकृत चयन द्वारा की जाती है और उनमें से कुछ पद हस्तांतरणीय है। झारखंड जैसे कुछ राज्यों ने बताया है कि सभी पदों की केंद्रीकृत भर्ती होती है, लेकिन प्रभागवार और प्रभाग के भीतर हस्तांतरणीय होते हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने बताया है कि उन्होंने पहले ही केंद्रीकृत भर्ती के लिए नियमों का मसौदा तैयार कर लिया है। हिमाचल प्रदेश राज्य और उसके उच्च न्यायालय ने केंद्रीकृत भर्ती के प्रति झुकाव दिखाया है। मध्य प्रदेश राज्य में हालांकि नियम केंद्रीकृत भर्ती का प्रावधान नहीं करते है, लेकिन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के प्रशासनिक आदेश के तहत ऐसा किया जाता है। अन्य राज्यों और उच्च न्यायालयों ने भी सुझाव दिया है कि केंद्रीकृत भर्ती प्रदान करना समय की मांग है।

34- हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि उच्च न्यायालय एक संवैधानिक और स्वायत्त प्राधिकरण है जो किसी के अधीन नहीं है। इसलिए, कोई भी उच्च न्यायालय के संवैधानिक अधिकार को कमजोर नहीं कर सकता है,

और इसलिए इस मामले की सुनवाई का उद्देश्य केवल उच्च न्यायालय को सलाह देना है कि यदि उसके नियम हमारे संविधान के दर्शन के अनुरूप नहीं है और उन्हें संशोधित किया जा सकता है और नहीं इसके उल्लंघन में नियुक्ति की जानी चाहिए। यह आवश्यक है कि उचित नियमों का कड़ाई से अनुपालन हो और नियोक्ता किसी भी भर्ती से पहले संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के मानदंडों का पालन करने के लिए बाध्य है।

35. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपील का निपटारा निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया जाता हैः-

i) सभी उच्च न्यायालयों से अनुरोध है कि वे उच्च न्यायालय के साथ-साथ अधीनस्थ न्यायालयों में कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित वैधानिक नियमों की फिर से जांच करें और यदि कोई नियम अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और संविधान के 16. इसे संशोधित किया जा सकता है।

(ii) उच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में किसी भी पद के लिए रिक्ति को इस प्रकार बनाए गए वैधानिक नियमों के कड़ाई से अनुपालन में भरना। यदि वैधानिक नियमों के उल्लंघन में कोई नियुक्ति की जाती है, तो पद के किसी भी वर्ग या उस पर रहने वाले व्यक्ति की परवाह किए बिना नियुक्ति शुरू से ही अमान्य होगी।

(iii) यह पद कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करके भरा जाएगा और उनमें से एक संबंधित राज्य में व्यापक प्रसार वाली स्थानीय भाषा में होना चाहिए। इसके अलावा, स्थानीय रोजगार कार्यालय से नामों की मांग की जा सकती है और रिक्तियों को अन्य तरीकों से भी विज्ञापित किया जा सकता है जैसे कि रोजगार समाचार, आदि। यहां ऊपर निर्धारित अनुसार विज्ञापन के बिना भरी गई कोई भी रिक्ति शु से ही शून्य होगी और अप्रवर्तनीय रहेगी और निष्पादन योग्य में ऐसी नियुक्तियों को छोड़कर जिन्हें विज्ञापन के बिना भरने की अनुमति है, उदाहरण के लिए, लागू नियमों के अनुसार अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति कोई भी नियुक्ति करने से पहले, राज्य द्वारा अपनाई गई आरक्षण नीति आदि, यदि कोई हो, का पालन करते हुए सभी उम्मीदवारों की पात्रता और उपयुक्तता की जांच परीक्षण किया जाना चाहिए।

(iv) प्रत्येक उच्च न्यायालय आज से छह महीने के भीतर जांच और निर्णय ले सकता है कि क्या संबंधित उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के लिए उम्मीदवारों का केंद्रीकृत चयन वांछनीय है और यदि उसे यह वांछनीय लगता है, तो वह इसे पूरा करने के लिए नियम बना सकता है। उद्देश्य या तो राज्य के लिए या क्षेत्रीय या संभागीय आधार पर

(v) संबंधित उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय, जैसा भी मामला हो, मौजूदा रिक्तियों या उक्त अवधि के भीतर होने वाली संभावित

रिक्तियों के लिए वर्ष में कम से कम एक बार नियमित आधार पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा, ताकि रिक्तियां कम हो सकें। समय पर भरे जाते हैं, और इस प्रकार किसी भीअसुविधा या कर्मचारियों की कमी से बचा जा सकता है क्योंकि यह तदर्थवाद के खतरे को भी नियंत्रित करेगा।

36. मामले से अलग होने से पहले, हम एमिकस क्यूरी के रूप में अदालत को अमूल्य सहायता प्रदान करने के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पीएस नरसिम्हा की गहरी सराहना करते हैं।

फैसले की प्रति इस रजिस्ट्री द्वारा सीधे सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल रजिस्ट्रार प्रशासन को भेजी जाएगी और उक्त अधिकारी से अनुरोध किया जाएगा कि वह इसे सूचना और उचित कार्रवाई के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखें।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस टूल 'सुहास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी महावीर प्रसाद गुप्ता न्यायाधीश डेजिग्नेटेड कोर्ट अजमेर द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः-यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्धेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्धेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्धेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।